

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या पी- 536/36-टी-15(प्रो0टा0) लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2016

सेवा में,

श्री पब्लिक वेल्फेयर
पर जल।

फील्ड डाइरेक्टर,
दुधवा टाइगर रिजर्व,
उ0प्र0, लखीमपुर खीरी।

Dr
PCCF (I.T)
23 NOV 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत होमगार्ड्स के पारिश्रमिक भुगतान हेतु काटे गये चेक के गायब हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ: प्रभागीय वनाधिकारी, कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग, बहराइच का पत्रांक-4455/1-1, दिनांक 30.06.2016

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत होमगार्ड्स के पारिश्रमिक भुगतान हेतु काटे गये चेक के गायब हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 1.77 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने का प्रस्ताव शासन को इस कार्यालय की पत्र संख्या पी-62/36-टी-77(प्रो0टा0), दिनांक 15.07.2016 द्वारा प्रेषित किया गया था।

2- उक्त के क्रम में शासकीय पत्र संख्या-1702/14-4-2016-114/2015, दिनांक 17.11.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा रु0 1.77 लाख की स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

3- अतः उक्त प्रकार स्वीकृत धनराशि रु0 1.77 लाख का आवंटन आपके अधीनस्थ प्रभागीय वनाधिकारी, कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार, बहराइच के उपयोग हेतु निम्न प्रकार किया जाता है:-

लेखा शीर्षक	धनराशि (रु0 हजार में)
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0129-प्रोजेक्ट टाइगर (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
42-अन्य व्यय	177
योग:-	177

4- उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रभागीय वनाधिकारी, कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार, बहराइच द्वारा काटे गये चेक संख्या-654451 दिनांक 26.03.2015, जो गायब हो गया था, के विरुद्ध रु0 1,76,175/- का भुगतान करने पर ही नियमानुसार किया जाय।

5- उक्त धनराशि को सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

6- व्यय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सूचना आयोजनागत पक्ष की अन्य सूचनाओं के साथ निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय की वित्तीय प्रगति प्रपत्र बी0एम0-13 में भी इस कार्यालय का उपलब्ध करायें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 द्विवेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-536/36-टी-15(प्रो0टा0) दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या-1702/14-4-2016-114/2015, दिनांक 17.11.2016 की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि ₹0 1.77 लाख की साख-सीमा प्रभागीय वनाधिकारी, कतरनियाघाट वन्य जीव प्रभाग, बहराइच के पक्ष में जारी करने की कृपा करें।
संलग्नक: यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-536/36-टी-15(प्रो0टा0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासकीय पत्र संख्या-1702/14-4-2016-114/2015, दिनांक 17.11.2016 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, कतरनियाघाट वन्य जीव प्रभाग, बहराइच।
6. अभिसूचना सेल, कार्यालय-मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, 30प्र0, लखनऊ।

संलग्नक: यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-536/36-टी-15(प्रो0टा0) दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या-1702/14-4-2016-114/2015, दिनांक 17.11.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,

मो0 जुनीद
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक, 17 नवम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत होनगार्ड्स के पारिश्रमिक भुगतान हेतु काटे गये धन के गायब हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृत जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

नहदय,

कृपया ऊपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अधीनस्थ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बीजला एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या-सी-62/38-टी-15 (जोन्टा) दिनांक 15.07.2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹0 1,78,175 ₹0 की वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 से कार्यालय जल संख्या-1 2016-टी-1-743 एन-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न लेखाधीनक के अन्तर्गत राज्यपाल नहदय सहय प्रदान करते हैं

लेखाधीनक	धनराशि (₹0 हजार में)
अनुदान सं0-60	
राजस्व लेखा	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-	
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-	
0129- प्रोजेक्ट टाइगर (सी0सी0एल0 प्रणाली)-	
42- अन्य व्यय	177
	177

(₹0 एक लाख सतहतर हजार मात्र)

- उक्त धनराशि को सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।
- धनराशि के व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आहरित प्रश्नगत धनराशि राजकोष में जमा कर दी गयी है।

भवदीय,

(मो जुनीद)
संयुक्त सचिव

CCF

सी.प.उ.डी.

18.11.2016

सेवा में,

मो0 जुनीद
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक, 17 नवम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत होनगार्डस के पारिश्रमिक भुगतान हेतु काटे गये धन के मायब हो जाने के फलस्वरुप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृत जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

नहोदय,

शुभका अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजमा एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या-सी-62/38-टी-15 (नोवटा) दिनांक 15.07.2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 1,78,175 रु0 की वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय जन संख्या-1/2016 सी-1-743 एन-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में लिखित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न लेखाशीर्षक के अन्तर्गत राजस्वगत नहोदय सहय प्रदान करते हैं।

लेखाशीर्षक	धनराशि (रु0 हजार में)
अनुदान सं0-60	
राजस्व लेखा	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-	
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-	
0129- प्रोजेक्ट टाइगर (सी0सी0एल0 प्रणाली)-	
42- अन्य व्यय	177
	177

(रु0 एक लाख सतहतर हजार मात्र)

- उक्त धनराशि को सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।
- धनराशि के व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आहरित प्रश्नगत धनराशि राजकोष में जमा कर दी गयी है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

CCF

सी.प.उडि

18.11.2016

संख्या-सं0-1702(1)/14-4-2016-114/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (द्वितीय) उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(मो जुनौद)

संयुक्त सचिव